

दि. 23/08/2015 को जारी किया गया है।
 दि. 23/08/2015 को जारी किया गया है।
 दि. 23/08/2015 को जारी किया गया है।

BIHAR GOVERNMENT REVENUE DEPARTMENT
 BIHAR GOVERNMENT REVENUE DEPARTMENT
 BIHAR GOVERNMENT REVENUE DEPARTMENT
 BIHAR GOVERNMENT REVENUE DEPARTMENT
 BIHAR GOVERNMENT REVENUE DEPARTMENT

झारखण्ड सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

लगान रसीद



Form No. XIV-F No. 180V

जिला का नाम
 अनुमण्डल का नाम
 अंचल का नाम
 मौजा
 थाना व/वा थाना नम्बर

धनबाद
 हीरापुर
 0

रसीद क्रमांक JH AD16763
 रयत का नाम श्री शोतेनरी मिश्र
 सिता का नाम कलक धनबाद
 जमानती नम्बर 447

खाता संख्या खसरा संख्या (एकड़ में)
 140 खसरा - 682 खसरा 13 1/2 बीघा

जोत की सालाना मांग एवं मांग का वितरण (बकाया एवं हाल) चालू वर्ष का

माता	वार्षिक	3 वर्ष से ज्यादा	हाल	2014-15	विगत वर्ष	2015-16
W.P						
लगान	28.00			28.00	28.00	28.00
सेस	6.25			6.25	6.25	6.25
*ब्याज	12.50			12.50	12.50	12.50
विविध	12.50			12.50	12.50	12.50
योग	62.50			62.50	62.50	62.50



अदायगी	3 वर्ष से ज्यादा	3 वर्ष	2 वर्ष	हाल	अग्रिम
लगान	28.00			28.00	
सेस	6.25			6.25	
*ब्याज	12.50			12.50	
विविध	12.50			12.50	
योग	62.50			62.50	

कुल योग शब्दों में 125.00 (एक सौ पच्चीस रुपये) 62.50 AND 62.50
 नाम अदाकर्ता श्री शोतेनरी मिश्र
 कुल बकाया 0

* जमा महल का बकाया (माला) जारी पर (सिवाय ऐसे बकाया जिन पर कि. साटिफिकेट जारी हो) सूच नहीं किया जाता है।
 हस्ताक्षर एवं लिनांक

खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार, धनबाद।

पत्रांक - / न० नि०

सेवा में,

श्री धनबाद नक्शा के तरफ से इ. 10 पूरा प्यार पूरा
पिता / प्रति इ. 10 संपत्ति पूरा आनंदी तैयारी
पता - धनबाद नक्शा, संपत्ति 10, हीरापुर,
धनबाद।

धनबाद, दिनांक

विषय:- आवासीय/व्यवसायिक/औद्योगिक/संस्थागत भवन निर्माण हेतु गृह प्लान केष न० बी०डी 770/13-14
संबंधी आपके आवेदन दिनांक 24.1.14 के संबंध में।

महाशय,

आपके आवेदन, दलील संख्या - 1656 दाखिल खारिज अभिलेख संख्या
जमाबंदी संख्या 447 से निर्गत लगान रसीद वर्ष 15-16 की अभिप्रमाणित प्रति, षपथ पत्र एवं

Indemnity Bond एवं तकनीकी सदस्य द्वारा किए गए अनुशांसा के आलोक में आपके द्वारा प्रस्तुत
आवासीय/व्यवसायिक/औद्योगिक/संस्थागत भवन संबंधी बी० डी० केष न० 770/13-14 के नक्शों की
स्वीकृति प्रबंध निदेशक, खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार, धनबाद द्वारा प्रदान की गई है।

निर्देशानुसार सूचित करना है कि हीरापुर-07 मौजा अन्तर्गत खाता न० 140 प्लॉट
न० 682 रकब 3212.54 वर्ग मी० भूमि पर स्वीकृत नक्शे के अनुसार लाईसेंसी अभियन्ता

श्री अजित कुमार की देख रेख में कार्यारम्भ के पूर्व निर्धारित प्रपत्र में अधोहस्ताक्षरी
को कार्यारम्भ की जानकारी उपलब्ध करायेंगे।

स्वीकृत नक्शों के अनुसार अधिकतम 2 वर्षों में कार्य पूर्ण कर अधिनियम के तहत निर्माण पूरा होने की लिखित
जानकारी अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायेंगे।

प्रबंध निदेशक के लिखित पूर्वानुमति के दंगरे किये गये किसी भी विचलन निर्माण को नियमित नहीं किया जा
सकेगा, बल्कि उसे तोड़ना ही एकमात्र विकल्प होगा।

खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार के संबंधित पदाधिकारी से निर्माण कार्य का निरीक्षण समय समय पर कराना
सुनिश्चित करेंगे।

आप स्वीकृत नक्शों में दर्शाये नाली से हटकर अन्य नाली का निर्माण नहीं करेंगे।

माडा भवन विनिमय के दायरे में आवासीय/व्यवसायिक/औद्योगिक/संस्थागत भवन निर्माण हेतु स्वीकृत नक्शा,
स्वत्व अधिकार एवं दखल का प्रमाण नहीं है।

जिस प्रयोजन के लिये भवन निर्माण का नक्शा स्वीकृत किया गया है निर्मित भवन का व्यवहार उसी प्रयोजन के लिये
किया जा सकेगा। भवन प्लान की स्वीकृति से आवेदक का प्रजनगत भूमि पर भुस्वामित्व का प्रमाण स्थापित नहीं होगा।

जल संरक्षण एवं पर्यावरण सुरक्षा हेतु आवश्यक प्रबंध के लिये आप स्वयं जिम्मेवार रहेंगे तथा स्वीकृत आदेश राज्य
सरकार/नेशनल बिल्डिंग कोड के अद्यतन आदेशों, निर्देशों एवं प्रावधानों से स्वतः प्रभावित होगा।

आवेदक द्वारा उपकर के मद में कुल रू० 52,500/- जमा किया गया है। शेष राशि आवेदक द्वारा
सहायक श्रमायुक्त धनबाद के कार्यालय में जमा करना स्वयं सुनिश्चित करेंगे।

Plinth के निर्माण के बाद आवेदक सूचित करेंगे और अभियंता स्थल जाँचकर प्रतिवेदन देंगे, तत्पश्चात ही
अगे की निर्माण कार्य जारी रहेगी।

कार्यपालक अभियन्ता
नगर निवेशन विभाग,
खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार
धनबाद।

ज्ञापक - टी०पी० 1286 / नगर निवेशन
प्रतिलिपि - श्री अजित कुमार दिनांक 27/1/16
प्रतिलिपि - सहायक श्रमायुक्त, धनबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

27/01/16
कार्यपालक अभियन्ता
नगर निवेशन विभाग,
खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार
धनबाद।

खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार, धनबाद।

पत्रांक P.P. 1286 / न० नि०

सेवा में

श्री धनबाद क्लब के तरफ से इ.टो. पूर्ण कुमार पूर्ण
पिता / श्री इ.टो. एस.ओ.पी.ओ. पूर्ण आनंदरी सेक्टर,
पता - धनबाद क्लब, एस.ओ.पी.ओ. ह. हीरापुर,
धनबाद।

धनबाद, दिनांक

27/1/16

विषय:- आवासीय/व्यवसायिक/औद्योगिक/संस्थागत भवन निर्माण हेतु गृह प्लान केष न० बी०डी० 770/13-14
संबंधी आपके आवेदन दिनांक 24.1.14 के संबंध में।

महाशय,

आपके आवेदन, दलील संख्या - 1656

दाखिल खारिज अभिलेख संख्या

जमाबंदी संख्या 447

से निर्गत लगान रसीद वर्ष 15-16

की अभिप्रमाणित प्रति, षपथ पत्र एवं

Indemnity Bond एवं तकनीकी सदस्य द्वारा किए गए अनुशांसा के आलोक में आपके द्वारा प्रस्तुत
आवासीय/व्यवसायिक/औद्योगिक/संस्थागत भवन संबंधी बी० डी० केष न० 770/13-14 के नक्शों की
स्वीकृति प्रबंध निदेशक, खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार, धनबाद द्वारा प्रदान की गई है।

निर्देशानुसार सूचित करना है कि हीरापुर-07 मौजा अन्तर्गत खाता न० 140 प्लॉट
न० 682 रकबा 132.12.54 वर्ग मी. भूमि पर स्वीकृत नक्शों के अनुसार लाईसेंस अभियन्ता

श्री इ.ओ. अजित कुमार की देख रेख में कार्यारम्भ के पूर्व निर्धारित प्रपत्र में अधोहस्ताक्षरी
को कार्यारम्भ की जानकारी उपलब्ध करायेंगे।

स्वीकृत नक्शों के अनुसार अधिकतम 2 वर्षों में कार्य पूर्ण कर अधिनियम के तहत निर्माण पूरा होने की लिखित
जानकारी अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायेंगे।

प्रबंध निदेशक के लिखित पूर्वानुमति के बगैर किये गये किसी भी विचलन निर्माण को नियमित नहीं किया जा
सकेगा, बल्कि उसे तोड़ना ही एकमात्र विकल्प होगा।

खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार के संबंधित पदाधिकारी से निर्माण कार्य का निरीक्षण समय समय पर कराना
सुनिश्चित करेंगे।

आप स्वीकृत नक्शों में दर्शाये नाली से हटकर अन्य नाली का निर्माण नहीं करेंगे।

माडा भवन विनियम के दायरे में आवासीय/व्यवसायिक/औद्योगिक/संस्थागत भवन निर्माण हेतु स्वीकृत नक्शा,
स्वत्व, अधिकार एवं दखल का प्रमाण नहीं है।

जिस प्रयोजन के लिये भवन निर्माण का नक्शा स्वीकृत किया गया है निर्मित भवन का व्यवहार उसी प्रयोजन के लिये
किया जा सकेगा। भवन प्लान की स्वीकृति से आवेदक का प्रपत्रगत भूमि पर भुस्वामित्व का प्रमाण स्थापित नहीं होगा।

जल संरक्षण एवं पर्यावरण सुरक्षा हेतु आवश्यक प्रबंध के लिये आप स्वयं जिम्मेवार रहेंगे तथा स्वीकृत आदेश राज्य
सरकार/नेशनल बिल्डिंग कोड के अद्यतन आदेशों, निर्देशों एवं प्रावधानों से स्वतः प्रभावित होगा।

आवेदक द्वारा उपकर के मद में कुल रू० 52,500/- जमा किया गया है। शेष राशि आवेदक द्वारा
सहायक श्रमायुक्त धनबाद के कार्यालय में जमा करना स्वयं सुनिश्चित करेंगे।

Pliinth के निर्माण के बाद आवेदक सूचित करेंगे और अभियन्ता स्थल जाँचकर प्रतिवेदन देंगे, तत्पश्चात ही
अगे की निर्माण कार्य जारी रहेगी।

27/1/16
कार्यपालक अभियन्ता
नगर निवेशन विभाग,
खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार
धनबाद। 27.1.16